उत्तराखण्ड शासन

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

12 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक–2795/तीन–112/च0सं0/2025–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शासनादेश संख्या–666/XVIII(3)/2025–03 (07)/2016, दिनांक 04 सितम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–52 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरू, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना व तहसील रूड़की के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1–	आसफनगर	रूड़की	रूड़की	हरिद्वार

रंजना राजगुरू,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–09–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 राजस्व/455–15–10–2025–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)